115146 - शेयरों का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद उन्हें बेचना

प्रश्न

मेरा प्रश्न शेयरों का व्यवसाय करने के बारे में है। अगर मैंने 11 नवंबर 2007 को शेयर खरीदा और यह सौदा 13 नवंबर 2007 (यानी दो दिन बाद) सुबह-सवेरे पूरा हुआ। यदि मैंने अपने शेयर बेच दिए (अर्थात उसी दिन जिस दिन सौदा पूरा हुआ)। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या यह अनुमन्य है? यहाँ तक कि उसी दिन मैंने शेयरों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त किया और उसी दिन, 13 नवंबर 2007 को, मेरे शेयरों के मूल्य में वृद्धि हुई।

विस्तृत उत्तर

यदि आपने शेयर खरीदे और वे आपकी संपत्ति बन गए, तो आपके लिए उन्हें बेचना जायज़ है, भले ही वह उसी दिन हो, चाहे उनका मूल्य बढ़ गया हो या घट गया हो, जब तक कि शेयर किसी स्थायी कंपनी में हों, जिसकी गतिविधियां और संपत्ति हैं।

बल्कि आईपीओ (शुरुआती सार्वजानिक प्रस्ताव) की सदस्यता लेने के तुरंत बाद और कंपनी के अपनी गतिविधियों को शुरू करने और अपने पैसे को धन के अलावा अन्य परिसंपत्तियों में बदलने से पहले, शेयरों की बिक्री के बारे में मतभेद हुआ है। कुछ विद्वानों का विचार है कि उस विशेष समय में मूल्य की वृद्धि के साथ (शेयरों को) बेचना हराम है, क्योंकि यह कुछ वृद्धि के साथ नक़दी (मुद्रा) को नक़दी (मुद्रा) के बदले बेचने के शीर्षक के अंतर्गत आता है। जबकि अन्य विद्वानों के मतानुसार यह अनुमेय है, क्योंकि कंपनी के पास नकदी (पैसे) के अलावा अन्य संपत्ति (भी) है और उसका एक मूल्य है जिसे शरीयत के अनुसार माना जाता है और उसी में (व्यवसाय करने के लिए) लाइसेंस रखने का मूल्य शामिल है।

जहाँ तक कंपनी के - सभी या अधिकांश – पैसों के नक़दी के अलावा अन्य परिसंपत्तियों में परिवर्तित हो जाने के बाद का संबंध है, तो उसके शेयरों को उसी मूल्य पर, या वृद्धि के साथ बेचना जायज़ है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।